लखनऊ

अपील/शिकायत सं0एस–10–3490/ए/2020

1– श्री शशांक सिंह ऊर्फ सनी। अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता

2– जनसूचना अधिकारी/ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। उत्तरदाता

महत्वपूर्ण तिथियॉ :

धारा 6 (1) के प्रार्थना पत्र की तिथि	09.12.2019	प्रथम अपील में आदेश की तिथि	————
जनसूचना अधिकारी द्वारा उत्तर की तिथि	————	अपील दायर करने की तिथि	20.11.2020
प्रथम अपील दायर करने की तिथि	17.01.2020	अपील में अन्तिम सुनवाई की तिथि	10.10.2022

उपस्थिति : (10.10.2022)

1. अपीलार्थी – अनुपस्थित
2. उत्तरदाता – उपस्थित

अपीलार्थी अनुपस्थित है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री नरेश कुमार सिन्ध, वरिष्ठ सहायक कार्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उपस्थित हुए। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2019 जनसूचना अधिकारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को दिया था जिसमें उन्होंने कतिपय बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी थी। जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 08.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया है कि बिन्दु संख्या 01 व 11 के संबंध में वांछित सूचनाएं स्पष्ट नहीं है तथा बिन्दु संख्या 02 ,03, 04 एवं 05 के संबंध में अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्टेटमेंट उपलब्ध कराने संबंधी कोई आदेश निर्गत नहीं किए गए है, अपितु यह आदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं निर्गत किए गए है। बिन्दु संख्या 06 व 10 के संबंध में अवगत कराया गया कि यह सूचना शिक्षा विभाग से प्राप्त की जानी चाहिए। अपीलार्थी ने प्राप्त सूचना पर एक आपत्ति पत्र दिनांक 09.02.2021 द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने बिन्दु संख्या 01 एवं 11 के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है तथा अन्य बिन्दुओं पर जो सूचनाएं दी गई है उसपर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। जहां तक बिन्दु संख्या 02, 03, 04 एवं 05 का प्रश्न है उन्होंने उल्लेख किया कि सूचना भ्रामक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि किस आधार पर वह प्राप्त सूचना को भ्रामक बताते है। बिन्दु संख्या 06 से 10 के संबंध में उनका कथन था कि शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त कर उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उक्त के कम में पत्र दिनांक 25.04.2022 द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध कराई गई है। बिन्दु संख्या 01 के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया कि NTSF द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए प्रथक–प्रथक मानक निर्धारित किए गए है और उक्त नियमों की प्रतिलिपि भी उन्हें उपलब्ध कराई गई। जहां तक बिन्दु संख्या 06 से 10 का प्रश्न है उन्हें बिन्दुवार सूचनाएं दी गई है। बिन्दु संख्या 11 एवं 12 के संबंध में उन्हें पुनः सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। उन्हें अवगत कराया गया कि राजकीय एवं

16-4-24

Scanned with OKEN Scanner

अपील/शिकायत सं0एस–10–3490/ए/2020

अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है। मैंने अपीलार्थी के आवेदन पत्र एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का अवलोकन किया। बिन्दु संख्या 01 पर उनके द्वारा जिस प्रकार की सूचना मांगी गई है वह कारण जानने विषयक है कि किस कारण से परास्नातक में अनुमोदित शिक्षक को स्नातक में अनुमोदित नहीं किया जाता। जनसूचना अधिकारी ने NTSF के एक परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न की। उल्लेखनीय है कि इस बिन्दु पर अपीलार्थी ने जिस प्रकार की सूचना मांगी है वह सूचना की परिभाषा से अच्छादित नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपेक्षा की है कि जनसूचना अधिकारी अभिलेखों का निरीक्षण कर निष्कर्ष निकाले और उन्हें अवगत कराए। बिन्दु संख्या 06 से 10 पर उन्हें बिन्दुवार स्पष्ट सूचनाएं दी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 11 पर जिस प्रकार की सूचना मांगी गई है वह परिकल्पित प्रश्नों के उत्तर के रूप में है जो देय नहीं है। बिन्दु संख्या 12 पर उन्होंने यह जानना चाहा है कि विश्वविद्यालय राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षक रखने से छूट प्राप्त है तो कृपया उन आदेशों की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें। किस बिन्दु पर क्या सूचना वांछित है यह स्पष्ट नहीं है? जहां तक बिन्दु संख्या 02 से 05 का प्रश्न है जनसूचना अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासन से बैंक स्टेटमेंट मांगे जाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं इस प्रकार के नियम बनाए गए है। जहां तक सूचना का प्रश्न है वह दी जा चुकी है, लेकिन मैं अपीलार्थी के इस कथन से सहमत हूँ कि जिस प्रकार के नियम विश्वविद्यालय ने बनाए है और जिस प्रकार की सूचना उनके द्वारा शिक्षकों से प्रत्येक छः माह संकलित की जा रही है उससे शिक्षकों की निजता का उल्लंघन होता है। वर्णित स्थिति में उचित होगा कि विश्वविद्यालय इस प्रावधान पर पुनर्विचार करे ताकि प्रत्येक छः माह पर शिक्षकों के बैंक स्टेटमेंट विश्वविद्यालय को दिए जाने की आवश्यकता न हो, प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाई अपेक्षित नहीं है। अपील तद्नुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

10.4.22

राजीव कपूर
राज्य सूचना आयुक्त
10.10.2022

Scanned with OKEN Scanner